

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

आदेश

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के नियंत्रणाधीन कार्यरत श्री मिथलेश कुमार राम, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, पूसा, सम्प्रति सरमेरा, नालंदा जिनके विरुद्ध विभागीय ज्ञापांक 6995 दिनांक 29.08.2011 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया था। के संचालन पदाधिकारी से प्राप्त अधिगम एवं उसकी विभागीय समीक्षा तथा जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर से प्राप्त मंतव्य के आलोक में प्रमाणित आरोपों के लिए निम्नांकित दण्ड संसूचित करते हुए विभागीय कार्यवाही समाप्त किया जाता है :-

2. दो वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोकी जाय।
3. निंदन की सजा श्री राम के सेवापुस्त में अंकित किया जाय।

ह0/-
(सुरेश ठाकुर)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक प्र08 गो0 वि0 समस्तीपुर 16/2011 5760 खाद्य, पटना दिनांक- 10/9/2012

प्रतिलिपि - जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर/नालंदा/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, समस्तीपुर/नालंदा/संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी/प्रशाखा पदा- 03./श्री अफजल आजमी, आई0टी0 प्रबंधक, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना एवं श्री मिथलेश कुमार राम, प्र0आ0पदा0, पूसा सम्प्रति सरमेरा, नालंदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।